राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय मंडलायुक्त (राजस्व)
संसदीय शाखा,
5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली।

तारांकित प्रश्न संख्या : 71

अनु.जाति./जनजाति/अ.पि.व. विभाग से

राजस्व विभाग को स्थानांतरित

दिनांक 22.03.2018

प्रश्नकर्त्ता का नाम : मान्नीय विधायक श्री विशेष रवि जी

क्या अनु.जाति./जनजाति/अ.पि.व. मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

क्रम सं	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण का कार्य विभिन्न विभागों में बंटा हुआ है जिसके कारण उसमें दुविधा की स्थिति एवं देरी होती है;	अल्पसंख्यको से सम्बन्धित मामले सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या 1/2012/GAD/CN/6008–6019 दिनांक 23/11/2015 के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग से राजस्व विभाग को हस्तान्तरित किया गया है। (आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।) अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृति से सम्बधित कार्य अभी भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के द्वारा ही देखा जा रहा है, क्योंकि राजस्व विभाग में इस कार्य को देखने के लिए जरूरी स्टाफ/कार्यबल तथा जरूरी ढांचा उपलब्ध नहीं है।
ख	क्या यह सत्य है कि अनु. जाति/जनजाति/अ.पि.व का मंत्री अल्पसंख्यको के मामलों के कार्य को नहीं देख रहा हैं;	जी हाँ। यह कार्य राजस्व विभाग के मंत्री के द्वारा देखा जा रहा है।
ग	क्या यह भी सत्य है कि विभाग की वेबसाइट, पब्लिक नोटिस एवं डिसप्ले बोर्ड इस विभाग के लिए जिम्मेदार मंत्री का विवरण नहीं दिखाता है;	यह कार्य राजस्व विभाग का ही एक हिस्सा है इस कारण इसको अलग से नही दर्शाया गया है।
घ	क्या यह भी सत्य है कि किसी मंत्री ने अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं एवं उनके कार्यों का रिव्यू करने हेतु कोई बैठक नहीं बुलाई है; और	राजस्व विभाग के मंत्री समय समय पर राजस्व विभाग के मामलों से सम्बन्धी बैठक करते रहते हैं, उन बैठको में अल्पसंख्यक मामलों पर भी चर्चा हो जाती है। लेकिन अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं एंव उनके कार्य का रिव्यू करने हेतु अलग से बैठक बुलाए जाने का कोई विवरण/जानकारी उपलब्ध नहीं है।
ङ	यदि उनका रिव्यू किया गया है तो उन बैठकों का एजेंडा एवं तिथियों सहित पूर्ण विवरण क्या है।	

विकास 20/3/18

उपमण्डलीय दण्डाधिकारी (मुख्यालय)

VIKAS PANDEY
Sub Divisional Magistrate
Revenue Department
Govt. of NCT of Delhi
5, Sham Nath Marg, Delhi-54